Most Immediate

No. 19012/01/2017-Edu/Scho.
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
(Scholarship & DBT)

214-D,Shastri Bhawan,
New Delhi, dated 9th June 2017

To

Principal Secretaries / Secretaries
Tribal Welfare Deptt of all State Governments/ UTs

Subject: Notification in respect of 5 Schemes of Ministry of Tribal Affairs under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

Sir,

Please find enclosed a copy each of English and Hindi version of the Notifications (No.19012/01/2017-Edu dated 30.5.2017) published in Extraordinary Gazette of India (Annexure-I) in respect of following 5 schemes of Ministry of Tribal Affairs, under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Servicers) Act, 2016 for necessary action:-

i) Scholarships including Pre-Matric, Post-Matric, National Fellowships & Scholarships, and scholarships for studying abroad
ii) Scheme of Grant in aid to Voluntary Organizations working for the welfare of STs
iii) Vocational Training in Tribal Areas
iv) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Product.
v) Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGS)

2. It is requested that wide publicity through media and individual notices may be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their local areas by 30th June 2017 in respect of schemes at Sl.No. (i) to (iv) above, and by 30th September 2017 in respect of scheme at Sl.No.(v) above, in case they are not enrolled.

3. The notification is applicable in all the states and UTs except the states of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

4. It is also requested that instructions issued by UIDAI with regard to Do's and Don'ts regarding usage of Aadhaar data (enclosed as Annexure-II) may be adhered to in letter and spirit to ensure security and privacy of UID data.

Yours faithfully,

(M. Dilip Kumar)
Deputy Secretary to Govt of India
Tel. 23073706

Encl: (i) Notifications of 5 schemes as above (Annexure-I)
(ii) Do's and Don'ts list issued by UIDAI (Annexure-II)

Copy for information to:- (i) Joint Secretary(DBT), Cabinet Secretariat (ii) DG(NIC), (iii)UIDAI (iv) JS(A), (v), JS(VKT), vi) EA(SS), (vii) EA(Eco)
All Divisional Heads, NIC- for uploading on Ministry's website

Annexure - I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1530] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939
No. 1530] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/ JYAISTHA 9, 1939

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1726(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है :

और भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात "मंत्रालय" कहा गया है), अनुसूचित जनजाति के छात्रों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राहियों कहा गया है) के लिए नीचे की सारणी के अनुसार संबंधित कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वियन करता है, नामत: -

क्रम सं.	स्कीम का नाम	स्कीम का प्रकार	कार्यान्वियन अभिकरण
1.	कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम;	केन्द्रीय रुप प्रायोजित स्कीम	राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन
2.	अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;	केन्द्रीय रुप प्रायोजित स्कीम	राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन
3.	अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के उच्चतर शिक्षण हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति;	केन्द्रीय सेक्टर स्कीम	सीधे मंत्रालय द्वारा : - छात्रों को अध्येतावृत्ति भुगतान किया गया -छात्रवृत्ति को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग छात्रों के लिए तथा दूसरा संबंधित संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के लिए

4.	अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति;	केन्द्रीय सेक्टर स्कीम	विदेश मंत्रालय के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

और पूर्वोक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतरविलित है ।

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात :–

1. (1) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यांक होने या आधार प्रमाणीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करें ।

(2) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करेगा, परन्तु उक्त आधार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित है कि वह अपने कार्यान्वयन विभागों तथा मैट्रिकपूर्व या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिन्होंने आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं कराया है और ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील जैसे समीपवर्ती स्थान में कोई आधार नामांकन केंद्र के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित होगा कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएं या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का रजिस्ट्रार बनकर तथा नामांकन अभिकरणों के रुप में मैट्रिकपूर्व या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को नियुक्त करके आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराएं।

परन्तु केंद्रीय सेक्टर स्कीमों हेतु, मंत्रालय से यह अपेक्षित है कि वह अपने कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करे जिन्होंने आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तथा समीपवर्ती स्थान में किसी आधार नामांकन केंद्र के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय से उसके कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी ।

परन्तु यह और कि उस समय तक जब व्यक्ति को आधार सौंपा जाता है, ऐसे व्यक्ति स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात;

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध जैसा पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज, अर्थात :-

(i) मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या के (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें आवेदक की फोटो हो; या

(vi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो के पहचान का प्रमाण-पत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पास बुक; या

(ix) मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा या विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह भी उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीमों के अधीन सुविधाजनक रुप से और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने कार्यान्वयन विभागों के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेंगे:-

(क) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति उन्हें जागरुक बनाने के लिए शैक्षिणिक संस्थाओं के माध्यम से फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों के समीपवर्ती नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रुप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) यदि, समीपवर्ती स्थान जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही अपना नामांकन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो यह अपेक्षित है कि मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों या राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने कार्यान्वयन विभागों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं और फायदाग्राहियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या शैक्षिक संस्थानों के संबंधित पदाधिकारियों के साथ या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब-पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा-1 उप-पैरा (3) के दूसरे परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए अपने आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू - कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1726(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the following Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) through the respective implementing agencies as per the table below for the Scheduled Tribe students (hereinafter referred to as the beneficiaries), namely :-

Sr. No.	*Name of the Scheme*	*Type of Scheme*	*Implementing Agencies*
1	Pre-matric Scholarship Scheme for Scheduled Tribe Students Studying in Class IX and X	Centrally Sponsored Scheme	State Government and Union territory Administration
2	Post-Matric Scholarship for Scheduled Tribe Students	Centrally Sponsored Scheme	State Government and Union territory Administration
3	National Fellowship and Scholarship for Higher Education of Scheduled Tribe Students	Central Sector Scheme	Directly by the Ministry: - Fellowship is paid to the student - Scholarship is divided into two components with one part for student and other for corresponding institute or college or university
4	Scholarship to the Scheduled Tribe Students for studies abroad	Central Sector Scheme	The financial assistance is offered through Ministry of External Affairs

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1\. (1) An individual desirous of availing benefits under the Schemes is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, for the Centrally Sponsored Schemes the State Government or Union territory Administration through its Implementing Departments and its pre-matric or higher education institutions are required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment centre in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar and engaging Pre-Matric or Higher education institutions as enrolment agencies :

Provided that for Central Sector Schemes, the Ministry through its implementing agencies is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment centre in the vicinity, the Ministry through its implementing agencies is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) :

Provided further that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or Union territory Administration :

Provided also that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2\. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Schemes, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Implementing Departments shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries through educational institutions where beneficiaries are enrolled to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by the 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Implementing Departments is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the second proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Ministry or the State Government or Union territory Administration or the educational institutions or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the state of Jammu and Kashmir.

[F. No. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1727(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात "मंत्रालय" कहा गया है), गैर-सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से केंद्रीय सेक्टरल स्कीम अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है;

और, कार्यान्वयन अभिकरण को सहायता अनुदान के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता जिसके माध्यम से उसके ऐसे व्यक्ति कृत्यकारियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कृत्यकारी कहा गया है), जो अपनी सेवाएं देते हैं मानदेय उपलब्ध कराया जाता है, तथा इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वृत्तिका, आजीविका व्ययों तथा फीस उपलब्ध करवाई जाती है;

तथा, कृत्यकारियों और व्यक्ति फायदाग्राहियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को संदत्त मानदेय, वृत्तिका, आजीविका व्यय तथा फीस (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संयुक्त रूप से प्रसुविधाएं कहा गया है) के रूप में वित्तीय सहायता भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्विलित है;

अत:, अब केन्द्रीय आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अनुसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यांक होने या आधार प्रमाणीकरण कराने का प्रमाण प्रस्तुत करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने का इच्छुक किसी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का / की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय से, उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है, जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा है:

परन्तु व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात् :-

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अर्थात्:-

(i) मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्या के (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर पासबुक; या

(vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाले पहचान का प्रमाण-पत्र; अथवा

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में स्वयं को 30 जून, 2017 तक नामांकित कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्रों में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है, तथा फायदाग्राहियों से, मंत्रालय के संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन अभिकरण के पास या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से प्रावधान में दिए गए अन्य आवश्यक ब्यौरे सहित अपना नाम, पते और मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1727(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely, Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations working

for welfare of members of Scheduled Tribes (hereinafter referred to as the Scheme) through Non-Governmental Organisations and Voluntary Organisations (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, financial Assistance in the form of Grant-in-Aid is provided to the Implementing Agencies which in turn provide honorarium to its individual functionaries who render their services (hereinafter referred to as the functionaries) and further, provide stipend, living expenses and fees to the Scheduled Tribes students (hereinafter referred to as Individual beneficiaries);

And whereas, the financial assistance in the form of honorarium, stipend, living expenses, fees, (hereinafter collectively referred to as the benefits) paid to the Functionaries and Individual Beneficiaries (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by the 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies is required to create

Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Ministry or the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1728(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, भारत सरकार का अनुसूचित जनजातीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही व्यक्ति कहा गया है) उनके ऐसे कृत्यकारी व्यक्तियों के लिए, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कृत्यकारी कहा गया है) मानदेय का संदाय करने के लिए, निधियां तथा छात्रवृत्तियां, जीविका व्यय, चिकित्सीय सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, निधियां उपलब्ध करवा कर सेक्टरल स्कीम, अर्थात् विनिर्दिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) का कार्यान्वयन कर रहा है।

और कृत्यकारियों और फायदाग्राही व्यक्तियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से फायदाग्राही कहा गया है) दिए जाने वाले मानदेय, वृत्तिका, जीविका व्यय तथा फीस और चिकित्सा सहायता जैसी सेवाओं (जिन्हें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में विधियों और भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ति व्यय अंतर्विलिन है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुसूचित करती है, अर्थात् :–

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यांक होने या आधार प्रमाणीकरण करने का प्रमाण प्रस्तुत करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है, जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में किसी आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं होने की स्थिति में, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सम्बन्धित विभाग से यह अपेक्षा है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएं।

परन्तु व्यक्ति को आधार दिये जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात:-

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अर्थात् ;-

(i) मतदाता पहचान कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक; या

(vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाले पहचान का प्रमाण-पत्र; अथवा

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, योजना के कार्यान्वियन हेतु जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्: -

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में स्वयं को 30 सितम्बर, 2017 तक नामांकित कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रुप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लाक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं तो स्कीम के कार्यान्वियन हेतु जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है, तथा फायदाग्राहियों से राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के संबंधित विभाग के अभिहित पदधारियों के पास या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी वेब पोर्टल के माध्यम से, प्रावधान में दिए गए अन्य आवश्यक ब्यौरे सहित अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1728(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (hereinafter referred to as the Scheme) by providing funds to State Governments and Union territory Administrations for paying honorarium to its individual functionaries who render their services (hereinafter referred to as functionaries) and providing funds and in-kind services namely, scholarships, living expenses, medical assistance, to members of Scheduled Tribes (hereinafter referred to as individual beneficiaries);

And whereas, funds in the form of honorarium, stipend, living expenses, fees, and in-kind services namely, medical assistance, (hereinafter collectively referred to as benefits) are given to the Functionaries and individual

beneficiaries (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), which involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment **by the 30th September, 2017**, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrollment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme are required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme shall make all required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by the 30th September, 2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the concerned Department in the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1729(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मंत्रालय" कहा गया है), व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और प्रचलन के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों तथा अन्य अभिकरणों अर्थात् गैर-सरकारी अथवा स्वैच्छिक संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और चलाने के लिए निधियां प्रदान करके केंद्रीय सेक्टरल स्कीम, अर्थात् जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है;

और, कार्यान्वयन अभिकरणों को उपलब्ध निधियों से उसके कृत्यकारियों और प्रशिक्षकों को मानदेय का संदाय तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, निर्वाहन व्ययों तथा फीसों का संदाय भी किया जाता है;

और, कृत्यकारियों और छात्रों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संयुक्त रूप से फायदाग्राही कहा गया है), मानदेय, वृत्तिका, निर्वाहन व्यय तथा फीस (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यांक होने या आधार प्रमाणीकरण करने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग के इच्छुक किसी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का या की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के संबंधित विभाग से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है आधार नामंकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है तथा यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र के नहीं होने की स्थिति में मंत्रालय, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी:

परन्तु व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात् :–

(ख) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अर्थात् :-

(i) मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर पासबुक; या

(vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परन्तु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किसी विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी, पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् :-

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में 30 जून, 2017 तक स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थान पर आधार रजिस्ट्रीकरण सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है, तथा फायदाग्राहियों मे मंत्रालय के अभिकरणों के या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग अभिहित पदधारियों के पास या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1729(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely, Scheme of Vocational Training in Tribal Areas (hereinafter referred to as the Scheme) by providing funds to the State Governments, Union territory Administrations and other agencies namely, Non-Governmental or Voluntary Organisations (hereinafter collectively referred to as the Implementing Agencies) for setting up and running the vocational training centres;

And whereas, funds provided to the Implementing Agencies are towards the payment of honorarium to its functionaries and trainers and also for paying living expenses and fees to the Scheduled Tribes students who are undergoing training in the vocational training centres;

And whereas, financial assistance in the form of honorarium, stipend, living expenses and fees (hereinafter referred to as the benefits) is given to the functionaries and students (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), which involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAIC www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies or the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or Union territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies or the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agencies of the Ministry or the concerned Department in the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. **This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.**

[F. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1730(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है :

और भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि. (ट्राइफेड) तथा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संयुक्त रुप से कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से केन्द्रीय सेन्ट्रल स्कीम अर्थात जनजातीय उत्पादों तथा उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत समर्थन, का कार्यान्वयन कर रहा है;

और कार्यान्वयन अभिकरणों को ऐसे कृत्यकारियों के जो सेवा प्रदान करते हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कृत्यकारी कहा गया है) को मानदेय तथा अन्य प्रसुविधाओं के संदाय हेतु और इसके अतिरिक्त व्यक्तियों से सीधे या सहकारी सोसाइटियों के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, उत्पादों तथा उपज को खरीदने हेतु प्रशिक्षण और निधियां उपलब्ध कराने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है;

और कार्यकृत्यकारियों और व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संयुक्त रुप से फायदाग्राही कहा गया है) को जनजातीय हस्तशिल्प, उत्पादों तथा उपज को खरीदने (जिन्हें इसके पश्चात संयुक्त रुप से प्रसुविधाएं कहा गया है) हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण या वित्तीय सहायता भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्विलित है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुसूचित करती है, अर्थात: :–

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यक होने या आधार प्रमाणीकरण करने का प्रमाण प्रस्तुत करे।

(2) राज्य स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी ऐसे व्यक्ति से जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जिसने अभी तक अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं करवाया है यह अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आदि से उसके ऐसे अधिकारियों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, आधार नामांकन सुविधाएं उपलबध करवाने की अपेक्षा है तथा संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्रों में कोई आधार नामांकन केंद्र के नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से उसके अभिकरणों के माध्यम से, यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा है।

परन्तु उस समय तक, जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं के निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन दी जाएंगी अर्थात;

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज, अर्थात :-

(i) मतदाता पहचान कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें आवेदक की फोटो हो; या

(vi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो के पहचान का प्रमाण-पत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पास बुक; या

(ix) मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा उपलब्ध कराने हेतु, मंत्रालय के अपने कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने अभिकरणें के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् :-

(क) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के प्रति जागरुक बनाने के लिए मीडिया तथा व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में 30 जून, 2017 तक स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रुप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि, निकट ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही अपना नामांकन कराने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो मंत्रालय से यह अपेक्षित है कि वह अपने कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से या राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा फायदाग्राहियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के कार्यान्वियन अभिकरणों, संबाधित पदाधिकारियों या उनके कार्यान्वियन अभिकरणों के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब-पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा-1 उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए अपना आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1730(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely, Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products and Produce (hereinafter referred to as the Scheme) through the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED) and the State Tribal Development Cooperative Corporations (STDCCs) under the State Governments or Union territory Administrations (hereinafter collectively referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, Grant-in-Aid is provided to the Implementing Agencies for paying honorarium and other benefits to its functionaries who render services (hereinafter referred to as functionaries) and further for providing training and funds for buying tribal handicrafts, products and produce directly from individuals or through network of cooperative societies;

And whereas, the training or financial assistance for buying tribal handicrafts, products and produce (hereinafter collectively referred to as benefits) is offered to the functionaries and individuals (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the Aadhaar Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAIC www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Agencies are required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely :—

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or Union territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Implementing Agencies of the Ministry or the State Government or Union territory Administration or their Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.06.01 14:56:54 +05'30'

DOs FOR AADHAAR USER AGENCIES/DEPARTMENTS

1. Read Aadhaar Act, 2016 and its Regulations carefully and ensure compliance of all the provisions of the Aadhaar Act, 2016 and its Regulations.
2. Ensure that everyone involved in Aadhaar related work is well conversant with provisions of Aadhaar Act, 2017 and its Regulations as well as processes, policies specifications, guidelines, circular etc issued by UIDAI from time to time.
3. Create internal awareness about consequences of breaches of data as per Aadhaar Act, 2016.
4. Follow the information security guidelines of UIDAI as released from time to time.
5. Full Aadhaar number display must be controlled only for the Aadhaar holder or various special roles/users having the need within the agency/department. Otherwise, by default, all displays should be masked.
6. Verify that all data capture point and information dissemination points (website, report etc) should comply with UIDAI's security requirements.
7. If agency is storing Aadhaar number in database, data must be encrypted and stored. Encryption keys must be protected securely, preferably using HSMs. If simple spreadsheets are used, it must be password protected and securely stored.
8. Access controls to data must be in place to make sure Aadhaar number along with personally identifiable demographic data is protected.
9. For Aadhaar number look up in database, either encrypt the input and then look up the record or use hashing to create Aadhaar number based index.
10. Regular audit must be conducted to ensure Aadhaar number and linked data is protected.
11. Ensure that employees and officials understand the implications of the confidentiality and data privacy breach.
12. An individual in the organization must be made responsible for protecting Aadhaar linked personal data. That person should be in charge of the security of system, access control, audit, etc.
13. Identify and prevent any potential data breach or publication of personal data.
14. Ensure swift action on any breach personal data.
15. Ensure no Aadhaar data is displayed or disclosed to external agencies or unauthorized persons.
16. Informed consent - Aadhaar holder should clearly be made aware of the usage, the data being collected, and its usage. Aadhaar holder consent should be taken either on paper or electronically.
17. Authentication choice - When doing authentication, agency should provide multiple ways to authenticate (fingerprint, iris, OTP) to ensure all Aadhaar holders are able to use it effectively.
18. Multi-factor for high security - When doing high value transactions, multi-factor authentication must be considered.
19. Create Exception handling mechanism on following lines-
20. It is expected that a small percentage of Aadhaar holders will not be able to do biometric authentication. It is necessary that a well-defined exception handling mechanism be put in place to ensure inclusion.

21. If fingerprint is not working at all even after using multi-finger authentication, then alternate such as Iris or OTP must be provided.
22. If the schemes is family based (like PDS system), anyone in the family must be able to authenticate to avail the benefit. This ensures that even if one person is unable to do any fingerprint authentication, someone else in the family is able to authenticate. This reduces the error rate significantly.
23. If none of the above is working (multi-finger, Iris, anyone in family, etc.), then agency must allow alternate exception handling schemes using card or PIN or other means.
24. All authentication usage must follow with notifications/receipts of transactions.
25. All agencies implementing Aadhaar authentication must provide effective grievances handling mechanism via multiple channels (website, call-center, mobile app, sms, physical-center, etc.).
26. Get all the applications using Aadhaar audited & certified for its data security by appropriate authority such as STQC/CERT-IN.
27. Use only STQC/UIDAI certified biometric devices for Aadhaar authentication.

DON'Ts FOR AADHAAR USER AGENCIES/DEPARTMENTS

1. Do not publish any personal identifiable data including Aadhaar in public domain/websites etc. Publication of Aadhaar details is punishable under Aadhaar act.
2. Do not store biometric information of Aadhaar holders collected for authentication.
3. Do not store any Aadhaar based data in any unprotected endpoint devices, such as PCs, laptops or smart phones or tablets or any other devices.
4. Do not print/display out personally identifiable Aadhaar data mapped with any other departmental data such as on ration card/birth certificate/caste certificate/any other certificate/document. Aadhaar number if required to be printed, Aadhaar number should be truncated or masked. Only last four digits of Aadhaar can be displayed/printed.
5. Do not capture/store/use Aadhaar data without consent of the resident as per Aadhaar act. The purpose of use of Aadhaar information needs to be disclosed to the resident.
6. Do not disclose any Aadhaar related information to any external/unauthorized agency or individual or entity.
7. Do not locate servers or other IT storage system/ devices having Aadhaar data outside of a locked, fully secured and access-controlled room
8. Do not permit any unauthorized people to access stored Aadhaar data
9. Do not share Authentication license key with any other entity.